Think IAS...

दृष्टि
The Vision

Think Drishti

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

# भारतीय अर्थव्यवस्था

(बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: BRPM12

# बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

# भारतीय अर्थव्यवस्था

## (बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

## भाग–2

दृष्टि The Vision

**641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009**
**दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501**
**टोल फ्री : 1800-121-6260**
**Web :** www.drishtiIAS.com
**E-mail :** online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

BPSC DLP

# विषय सूची (Contents)


**8. राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था** **5–53**

- **8.1** राजकोषीय नीति : अर्थ 5
- **8.2** बजट व्यवस्था 6
- **8.3** बजट 2018-19 15
- **8.4** राजकोषीय दुश्चक्र 22
- **8.5** कराधान 27
- **8.6** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 32
- **8.7** वित्त आयोग 48

**9. विदेशी व्यापार** **54–102**

- **9.1** विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय 54
- **9.2** विदेशी व्यापार की संरचना 56
- **9.3** निर्यात संवर्द्धन 59
- **9.4** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते 62
- **9.5** विदेश व्यापार नीति, 2015–20 67
- **9.6** अंतर्राष्ट्रीय संगठन 68
- **9.7** वैश्विक परिदृश्य में भारत 88

**10. भुगतान संतुलन** **103–123**

- **10.1** भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा 103
- **10.2** भुगतान शेष प्रबंधन 109
- **10.3** रुपये की परिवर्तनीयता 112
- **10.4** विदेशी निवेश 115
- **10.5** विदेशी पूंजी का नियमन 119

**11. बिहार अर्थव्यवस्था: प्राथमिक क्षेत्र** **124–133**

**11.1** कृषि 124

**11.2** पशुपालन 125

**11.3** वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना 127

**11.4** 2018–19 के बजट में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान 128

**11.5** कृषि वानिकी 129

**11.6** सहकारिता विभाग 131

**11.7** खान एवं भू-तत्त्व विभाग 131

**12. बिहार अर्थव्यवस्था : द्वितीयक क्षेत्र** **134–140**

**12.1** उद्योग विभाग 134

**12.2** आधारभूत ढाँचागत विकास 135

**12.3** सार्वजनिक-निजी सहभागिता 138

**12.4** बाह्य सहायतित परियोजनाएँ 138

**13. बिहार अर्थव्यवस्था : सामाजिक क्षेत्र विकास** **141–156**

**13.1** शिक्षा 141

**13.2** समाज कल्याण 142

**13.3** पेयजल आपूर्त्ति और स्वच्छता 143

**13.4** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 144

**13.5** बैंकिंग 145

**13.6** ग्रामीण विकास 149

**13.7** नगर नियोजन विभाग 152

**14. बिहार बजट, 2018–19 : विश्लेषण** **157–177**

**15. केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार की योजनाएँ** **178–204**

**15.1** केंद्र सरकार की योजनाएँ 178

**15.2** बिहार सरकार की योजनाएँ 191

अध्याय **8**

# राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था (Fiscal Policy and Budget System)

अर्थशास्त्री कींस की पुस्तक '**द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड मनी**' में प्रतिपादित विचारों में एक विचार यह भी है कि सरकार को राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोज़गार को स्थिर करने के लिये करना चाहिये। कींस के अनुसार सरकार को करों तथा व्यय में परिवर्तनों के माध्यम से राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिये।

## 8.1 राजकोषीय नीति : अर्थ *(Fiscal policy : Meaning)*

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं पर से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

**राजकोषीय नीति के घटक**

- सरकार का बजट
- विभिन्न प्रकार के घाटे
- कर संरचना

### भारत की राजकोषीय नीति *(Fiscal policy of India)*

भारत की राजकोषीय नीति के वृहद् उद्देश्यों के अंतर्गत संतुलित एवं तीव्र विकास, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाजवादी ढंग के समाज की रचना करना इत्यादि शामिल हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्न राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गईं–

1. ग्रामीण आधार संरचना पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना ताकि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके।
2. पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।
3. सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही इकाइयों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी रखना।
4. राजकोषीय घाटे को निकट भविष्य में यथासंभव शून्य करना।
5. राजकोषीय घाटे को संघ और राज्य के लिये क्रमशः 3% और 2% से कम करना।
6. महत्त्वहीन वस्तुओं (Non Merit Goods) पर दी जा रही सब्सिडी को कम करना एवं वैसी छिपी हुई सब्सिडी भी घटाना जो समर्थ लोगों को अधिक लाभ पहुँचा रही है।
7. भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| छठा | 1972 | ब्रह्मानंद रेड्डी | 1974–79 | 1973 |
| सातवाँ | 1977 | पी.एम. शेलेट | 1979–84 | 1978 |
| आठवाँ | 1983 | वाई.बी. चव्हाण | 1984–89 | 1983 व 1984 |
| नौवाँ | 1987 | एन.के.पी. साल्वे | 1989–95 | 1988 व 1989 |
| दसवाँ | 1992 | के.सी. पंत | 1995–2000 | 26 नवंबर, 1994 |
| ग्यारहवाँ | 1998 | ए.एम. खुसरो | 2000–05 | 15 जनवरी, 2000; 7 जुलाई, 2000 एवं 30 अगस्त, 2000 |
| बारहवाँ | 2002 | सी. रंगराजन | 2005–10 | 30 नवंबर, 2004 |
| तेरहवाँ | 2007 | विजय एन. केलकर | 2010–15 | 30 दिसंबर, 2009 |
| चौदहवाँ | 2013 | वाई.वी. रेड्डी | 2015–20 | 15 दिसंबर, 2014 |
| पंद्रहवाँ | 2017 | एन.के.सिंह | 2020–25 | -------------------- |

## परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
- सरकार के खज़ाने में कर जमा करने का दायित्व जिसके ऊपर है, उसे करापात कहते हैं।
- राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। सार्वजनिक व्यय, राजस्व तथा आर्थिक मामले वित्त मंत्रालय का विभाग है।
- बजट के हिसाब-किताब की जाँच भारतीय संसद की सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- मूल्य संवर्द्धन कर इनवॉयस विधि के प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- केंद्र सरकार के संपूर्ण व्यय प्रारूप की समीक्षा हेतु व्यय सुधार आयोग का गठन 28 फरवरी, 2000 को किया गया।
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 'वित्त मंत्रांलय' द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- भारत की संचित निधि से होने वाला व्यय और भारित व्ययों के लिये संसदीय मंज़ूरी विनियोग विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- राजकोषीय घाटे की गणना में केवल 91 दिन की परिपक्वता वाली सरकारी हुंडियों (Treasury Bill) को ही सम्मिलित किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर देश में ही उगाहे गए ऋण आंतरिक ऋण कहलाते हैं।
- कर का अंततः मौद्रिक बोझ किसके ऊपर है, इसे हम कराघात कहते हैं।
- जी.एस.टी. लागू करने के लिये 122वें संशोधन विधेयक, 2014 द्वारा संविधान में 101वाँ संशोधन 2016 किया गया तथा संविधान में नए अनुच्छेद-246(ए), 269(ए) और 279(ए) की व्यवस्था की गई है।
- ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी किये बिना दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि की जा सके। इनके उपभोग से कोई व्यक्ति इसलिये वंचित नहीं रह सकता क्योंकि वह उनकी कीमत चुकता नहीं कर सकता ऐसी वस्तुएँ शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती हैं।
- शुद्ध निजी वस्तुएँ ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ हैं जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी करने पर दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि हो क्योंकि वह व्यक्ति उनकी कीमत चुकता कर सकता है।
- प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वर्ष 2011–12 के केंद्रीय बजट से शुरू किया गया था।
- मूल्य वर्द्धित टैक्स (VAT) उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है।
- वर्ष 2012–13 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटे को एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।

- सक्षम परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा व्यापार में सुगमता के लिये भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) का विस्तार और डिजिटल इंडिया के तहत अन्य करदाता अनुकूल पहलों और कारोबार सुगमता में भी मदद मिलेगी।
- मौद्रिक नीति आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित की जाती है तथा बैंकिंग प्रणाली आर.बी.आई. की नीतियों के तहत कार्य करती है।
- जी.एस.टी. के लागू होने से सी.बी.ई.सी. के तहत विभिन्न अप्रत्यक्ष कानूनों में सभी करदाताओं-आयातकों-निर्यातकों-डीलरों की संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी जो फिलहाल 36 लाख है।
- 2011-12 के बजट में कर उत्पलावकता में तीव्र गिरावट हुई। परंतु अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष कर राजस्व में तेज वृद्धि हुई।
- 14वें वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को समाप्त करने की संस्तुति की है क्योंकि यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार से मेल नहीं खाती।
- भारत में आयकर, सार्वजनिक ऋण तथा वैट सरकार की सार्वजनिक आय के स्रोत हैं परंतु अर्थसहायिकी परिदान को सार्वजनिक व्यय में सम्मिलित किया जाता है।
- प्राथमिक घाटे का सर्वप्रथम वर्ष 1994–95 के बजट में प्रयोग करने वाले व्यक्ति वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे।
- मार्ग कर (Road tax) राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।
- राजस्व तथा प्राथमिक घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सबसे बड़ा है। सरकारी बजट घाटे की स्पष्ट तस्वीर राजकोषीय घाटा प्रस्तुत करता है।
- बिक्री कर, वह कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लगता है, यह अधिवासी निकाय को चुकाया जाता है। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे केंद्रशासित राज्यों पर यह कर लागू नहीं है।
- भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिये की जाती है।
- केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है।
- बजट, सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख-पत्र होता है।
- बैंकिंग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है?
   (a) योजना आयोग
   (b) वित्त आयोग
   (c) वित्त मंत्रालय
   (d) भारतीय रिजर्व बैंक
2. ब्याज भुगतान एक आइटम है-
   (a) राजस्व व्यय का
   (b) पूंजीगत व्यय का
   (c) योजना व्यय का
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
3. सामान्य रूप से भारत में प्रति पाँच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है?
   (a) राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिये।
   (b) केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिये।
   (c) केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिये।
   (d) केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिये।
4. केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है:
   (a) व्यापार से (b) बैंकिंग से
   (c) विदेशी निवेश से (d) करों से

5. आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है?
   (a) आय कर (b) व्यापार कर
   (c) सीमा कर (शुल्क) (d) उक्त में से कोई नहीं।
6. 'बजट' एक लेख-पत्र है-
   (a) सरकार की मौद्रिक नीति का
   (b) सरकार की वाणिज्य नीति का
   (c) सरकार की राजकोषीय नीति का
   (d) सरकार की मुद्रा बचत नीति का
7. भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है-
   (a) वित्त मंत्रालय द्वारा
   (b) योजना आयोग द्वारा
   (c) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा
   (d) भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा
8. भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है-
   (a) केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना।
   (b) वार्षिक बजट तैयार करना।
   (c) राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श करना।
   (d) संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिये नियमों का विनिधान करना।
9. निम्नलिखित में से कौन-सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता?
   (a) सेवा कर (b) शिक्षा कर
   (c) सीमा कर (d) मार्ग कर
10. मूल्य वर्द्धित टैक्स (VAT) लगाया जाता है-
   (a) प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर
   (b) उत्पादन के अंतिम स्तर पर
   (c) उत्पादन के प्रथम स्तर पर
   (d) उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर
11. राजकोषीय घाटा है-
   (a) कुल व्यय - कुल प्राप्तियाँ
   (b) राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ
   (c) पूंजीगत व्यय - पूंजीगत प्राप्तियाँ - बाजार ऋण
   (d) बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व
12. निम्नलिखित में से कौन एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है?
   (a) व्यय (b) राजस्व
   (c) बैंकिंग (d) आर्थिक मामला

## उत्तरमाला

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (d) 5. (c) 6. (c) 7. (a) 8. (a) 9. (d) 10. (d)
11. (d) 12. (c)

## दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. राजकोषीय नीति का अर्थ स्पष्ट करें। इसके प्रमुख घटकों की चर्चा करते हुए यह बताएँ कि भारत में राजकोषीय नीति दिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अपनाई गई? क्या उद्देश्य की प्राप्ति सफल रहा? स्पष्ट करें।
2. बजट व्यवस्था क्या है? बजट पारित करने की प्रक्रियाओं को समझाइए। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में संचित निधि, लोक लेखा निधि तथा आकस्मिक निधि की क्या भूमिका होती है?
3. बजट घाटा से क्या अभिप्राय है? इस संदर्भ में राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है? क्या राजकोषीय घाटे का बढ़ना हमेशा ही बुरा होता है? सुझाव प्रस्तुत करें।
4. बजट 2018–19 की मुख्य विशेषताओं को बताइए। कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिये इस बजट में क्या प्रावधान किये गए हैं?
5. वर्तमान संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का क्या महत्त्व है? क्या यह अधिनियम सरकार के घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाया?
6. काराधान का क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पुरानी 'कर' ढाँचा प्रणाली का हाल ही में घोषित नई "वस्तु एवं सेवा कर" प्रणाली विरासत स्वरूप है? अपना मत प्रस्तुत करें।

अध्याय
9

# विदेशी व्यापार
# (Foreign Trade)

वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार एक अपरिहार्य आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि होने से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्भरता भी निरंतर बढ़ रही है। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। कोई भी देश उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है। इसलिये विदेशी व्यापार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार के बिना देश अपनी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिये विदेशी व्यापार की आवश्यकता का जन्म हुआ है। विदेशी व्यापार को विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे पर निर्भरता तथा एक-दूसरे की भागीदारी एवं सहायता से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

## 9.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय *(Foreign Trade : General Introduction)*

"दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं।" किसी देश के विदेशी व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसके आकार का पता चलता है। विदेश व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन साधनों की दक्षता और कार्य कुशलता में वृद्धि कर आर्थिक उन्नयन करता है। खुली अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार की महत्ता वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी देश के लिये विदेशी व्यापार का महत्त्व निम्नलिखित रूप में है-

1. यह विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन है।
2. विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है।
3. आवश्यक वस्तुओं के आयात तथा अधिशेष वस्तुओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है।
4. बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करता है।
5. मशीनरी, तकनीक एवं पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मज़बूती आती है।
6. विदेशी व्यापार किसी भी राष्ट्र की उन्नति का महत्त्वपूर्ण कारक है।

**विदेशी व्यापार**

**लाभ/गुण**

- विदेशी मुद्रा का स्रोत
- विदेशी उत्पादों की प्राप्ति
- प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग
- औद्योगीकरण को प्रोत्साहन
- उत्पादन विधि में गुणवत्तापूर्ण सुधार
- श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में वृद्धि
- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना में वृद्धि
- मूल्यों में स्थायित्व
- जीवन-स्तर एवं आय में सकारात्मक वृद्धि
- संकट काल में सहयोग प्राप्ति

**दोष/हानि**

- विदेशों पर निर्भरता
- घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव
- मूल्य स्थिरता प्रभावित
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बाहरी प्रभाव
- असमान प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि
- भुगतान संतुलन पर प्रभाव
- विलासिता में वृद्धि
- संकट में सहायक दबाव

अध्याय
10

# भुगतान संतुलन
# (Balance of Payment)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं संवृद्धि में उस राष्ट्र के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक साधनों एवं क्रियाओं के द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती इसलिये बाह्य या विदेशी व्यापार को अनुकूल रखे जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देश की आर्थिक प्रगति के लिये निर्यात बढ़ाने एवं आयात निर्भरता कम करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। निर्यात में वृद्धि भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोष के लिये भी आवश्यक है। किसी भी देश के विदेशी लेन-देन का पूर्ण विवरण भुगतान संतुलन के माध्यम से ज्ञात होता है। भुगतान संतुलन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को चालू खाते एवं पूंजीगत खातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

## 10.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा
## *(Balance of Payment : Meaning and Concept)*

किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि सामान्यत: एक वित्तीय वर्ष में उस देश और शेष विश्व के साथ उसके सभी व्यापार जिनके मौद्रिक मूल्य की गणना हो सकती है, का क्रमबद्ध विवरण होता है। दूसरे शब्दों में भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन (Monetary Transactions) का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन (दृश्य, अदृश्य या पूंजीगत) का समस्त विवरण उपलब्ध होता है।

कोई देश जब विश्व के अन्य देशों को वस्तु एवं सेवाएँ विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं तथा दूसरे देशों से जिन वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है उसे हम उसका आयात कहते हैं। आयात-निर्यात के दौरान दृश्य मदों एवं अदृश्य मदों के तहत प्रविष्टि की जाती है। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं (पर्यटन, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, शिक्षा) के आदान-प्रदान को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत बैंकिंग जमा, विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, आप्रवासियों और एन.आर.आई. जमा आदि को सम्मिलित किया जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| **चालू खाता (Current Account)** | व्यापार खाता (Trade Account) | 1. निर्यात (Export – X)<br>2. आयात (Import – M)<br>3. व्यापार शेष (Balance of Trade or X – M) |
| | अदृश्य खाता (Invisible Account) | 4. अदृश्य शेष (Invisible Balance)<br>(क) कारक सेवा व्यापार शेष (Factor service Balance of Trade)<br>(i) निजी अंतरण/प्रेषण (Private Transfer/Remittance)<br>(ii) निवेश आय (Investment Income)<br>(ख) गैर-कारक सेवा व्यापार शेष (Non–Factor Service Balance of Trade) |
| | वस्तु एवं सेवा खाता (Goods and Service Account) | 5. वस्तु एवं सेवा शेष (3 + 4 ख)<br>(Goods and Service Balance) |
| | चालू खाता (Current Account) | 6. चालू शेष (3 + 4 क + 4 ख)<br>(Current Balance) |

अध्याय
11

# बिहार अर्थव्यवस्था: प्राथमिक क्षेत्र
# (Bihar Economy : Primary Sector)

समकालीन बिहार में 2005–06 में शुरू हुई विकास प्रक्रिया लगभग एक दशक से भी अधिक समय तक जारी रही है। राज्य सरकार की टिकाऊ प्रतिबद्धता के कारण शुरुआत के वर्षों में हुए विकास के प्रदर्शन के बाद स्थिति सुचारु रही। उच्च विकास खासकर स्थावर संपदा और निर्माण के क्षेत्रों में उच्च विकास के कारण अर्थव्यवस्था में ढाँचागत रूपांतरण भी हुआ। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) ने वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष के तौर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की है, जिसमें आधारभूत सामग्रियों के समुच्चय को भी संशोधित किया गया है। नए अनुमानों के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर गत वर्ष 10.3 प्रतिशत थी। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आँकड़ा 7 प्रतिशत रहा। इस विकास प्रक्रिया के पूरक के रूप में राज्य सरकार ने सात लोक कल्याणकारी कार्य घोषित किया है, जिनमें युवा कल्याण, महिलाओं को रोजगार, सभी घरों को बिजली की आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, पथ संपर्क, उच्च तकनीकी शिक्षा तथा शौचालय की सुविधा शामिल है। राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन के फलस्वरूप 2005–06 से 2016–17 के बीच किये गए उच्च स्तरीय निवेश ने अर्थव्यवस्था के टिकाऊ विकास दर को आवेग प्रदान किया है। राज्य सरकार इन सारे वर्षों में प्रचुर राजस्व अधिशेष सृजित करते रहने में सफल रहा जिससे प्रचुर सार्वजनिक निवेश हो पाया। हाल ही में बिहार में हुई शराबबंदी की घोषणा के कारण शुरू में तो 'वाणिज्य करों' में संभावित कमी के कारण राजकोषीय मोर्चे पर समस्याएँ हुईं, परंतु संसाधनों की कमी से निपटने के लिये राज्य सरकार ने वैकल्पिक तरीका अपनाकर विकास की गति को बरकरार रखने में सफल रहीं।

## 11.1 कृषि *(Agriculture)*

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी और उच्च स्तरीय ग्रामीण गरीबी की पृष्ठभूमि में कृषि क्षेत्र बिहार के विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में कुल 1.61 करोड़ जोते हैं, जिनका औसत आकर लगभग 0.4 हेक्टेयर है। इनमें से 91 प्रतिशत जोते लघु एवं सीमांत प्रकृति की हैं। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत हैं। लगभग 70 प्रतिशत श्रमिक अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर हैं। चूँकि बिहार में गंगा के उपजाऊ मैदान, समृद्ध जल संसाधन, उपयुक्त कृषि-पारिस्थितिक एवं प्रचुर श्रमिकों के कारण कृषि क्षेत्र उन्नत अवस्था में है। यहाँ की फसल प्रणाली में काफी विविधता है, जैसे-खाद्यान्न, दलहन, रेशेदार फसलें, इख, फल एवं सब्जियों सहित अनेक प्रकार की फसलें शामिल है। कृषि रोडमैप-3 (2017–22) ने इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिये व्यापक योजनाएँ निर्धारित की हैं, जिनका लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि और सहवर्ती क्षेत्रों का विकास है। इन दोनों से समस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूर्णत: सुदृढ़ीकरण होगा।

### कृषि रोड मैप–3 *(Agriculture road map-3)*

बिहार सरकार ने कृषि विकास को तीव्र गति देने के लिये 1.54 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक व्यय से तीसरा कृषि रोड मैप (2017–22) जारी किया है, जो सीधे तौर पर बिहार के विकासशील कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करेगा। सरकार ने देश की हर थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन पहुँचाने के लक्ष्य को बरकरार रखा है, जो न सिर्फ बिहार के आर्थिक विकास में सहयोग करेगा बल्कि बिहारी अस्मिता और खेतिहर बिरादरी के लिये एक नया आयाम स्थापित करेगा। साथ ही राज्य में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और वातावरण को बेहतर बनाने के लिये हरित क्षेत्र को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

अध्याय 12

# बिहार अर्थव्यवस्था : द्वितीयक क्षेत्र (Bihar Economy : Secondary Sector)

आर्थिक विकास के साहित्य में सामान्यतः यह देखा जाता है कि आरंभिक चरणों में अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी प्राथमिक क्षेत्रों में भी कृषि क्षेत्र सबसे महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि जैसे ही आर्थिक विकास में तेजी आती है, मांग कृषि क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की दिशा में चली जाती है। यही प्रवृत्ति बिहार में भी दिखती है। विगत पाँच वर्षों (2011-12 से 2015-16) के दौरान बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था का विकास जहाँ 4.9 प्रतिशत की दर से हुआ है, जिसमें द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 8.5 प्रतिशत रहा। हाल के वर्षों में द्वितीयक क्षेत्र के विकास में काफी उतार-चढ़ाव हुआ है, जिसमें खनन, विनिर्माण, निर्माण, बिजली आदि क्षेत्रों का प्रमुख स्थान रहा।

वर्तमान में द्वितीयक क्षेत्र में 8.6 प्रतिशत की अच्छी विकास दर के बावजूद बिहार में औद्योगीकरण का स्तर अभी भी बहुत निम्न है और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान अभी भी 20 प्रतिशत से कम है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत विकास दर 31 प्रतिशत से अधिक है। बिहार में यह अनुपात निस्संदेह सबसे कम है।

## 12.1 उद्योग विभाग *(Industry Department)*

- वर्ष 2017-18 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में रु. 771.88 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रु. 71.38 करोड़ कुल प्राक्कलन रु. 843.26 करोड़ था। तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रु. 535.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रु. 87.04 करोड़ कुल प्राक्कलन रु. 622.04 करोड़ है।
- **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016** लागू होने के बाद जनवरी 2018 तक प्राप्त 718 निवेश प्रस्तावों में से 596 पर स्टेज-1 क्लीयरेंस प्रदान की गई तथा इसमें रु. 8848.86 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण के 292 इकाइयों (1467.21 करोड़ रु.), ऊर्जा की 08 इकाइयों (3981.55 करोड़ रु.) एवं सीमेंट उद्योग के 03 इकाइयों (1002.60 करोड़ रु.) का निवेश प्रस्तावित है। 30 इकाइयाँ कार्यरत हो गई हैं।
- **बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017**
  - इस नीति के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट का गठन किया गया है तथा 500 करोड़ रु. का प्रारंभिक कॉपर्स का सृजन किया गया है।
  - ऑनलाइन स्टार्ट-अप पोर्टल पर जनवरी 2018 तक प्राप्त कुल 3993 आवेदनों में से 850 को चयनित कर विभिन्न 18 इन्क्यूबेटर्स के साथ संबद्ध किया गया है।
  - बिहार स्टार्ट-अप ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 32 स्टार्ट-अप से 26 स्टार्ट-अप को प्रथम किस्त के रूप में रु. 63 लाख रु. भुगतान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना**
  - इसके अंतर्गत मोरा तालाब (बिहार शरीफ), झूला कलस्टर कन्हैयागंज में लेदर फुटवियर, अपर्णा लेदर क्लस्टर, फतुहा, सीप बटन क्लस्टर मेहसी व पटना एवं लखीसराय राइस मिल क्लस्टर में सामाजन्य सुविधा केंद्र स्थापित की जा रही है।
  - औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में लेदर फुटवियर क्लस्टर की सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु रु. 106.55 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  - औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में अवस्थित बिहार फिनिश्ड लेदर लि. परिसर में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना हेतु रु. 12.23 करोड़ की व्यय से भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
- बिआडा के अंतर्गत कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केंद्र एवं मेगा पार्क अवस्थित है। वर्ष 2017 में उद्योग की स्थापना हेतु कुल 35 इकाइयों के बीच 15.56 एकड़ भूमि आवंटित की गई है जिसमें 606.4 करोड़ रु. का निवेश

अध्याय 13

# बिहार अर्थव्यवस्था : सामाजिक क्षेत्र विकास (Bihar Economy : Social Sector Development)

बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में सात निश्चय की शुरुआत की गई है जो कई नीतिगत योजनाओं का समागम है। इसके माध्यम से सरकार ने युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, हर घर बिजली, नल का जल एवं शौचालय का निर्माण, गाँव में पक्की नाली-गली का निर्माण तथा टोलों को सम्पर्ककर्त्ता प्रदान कर राज्य की आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास की दिशा में एक बड़े स्तर की पहल की है। इन सबका अनुमानित व्यय 2.7 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों की आपूर्त्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. संस्थान, पैरा-मेडिकल संस्था, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय तथा प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम. संस्थान एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को उच्च शिक्षा का लाभ होने के लिये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित है। अगले वित्तीय वर्ष से बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

## 13.1 शिक्षा *(Education)*

किसी समाज में शिक्षा प्राप्ति सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली तीन मुख्य स्तरों में विभाजित है। जैसे- प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। यही प्रणाली बिहार के शिक्षा व्यवस्था में भी लागू है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के हिस्से हैं जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शामिल है। शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 के तहत ये बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दो उप-श्रेणियों में विभाजित हैं- प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)। माध्यमिक शिक्षा भी दो स्तरों में विभाजित है, जैसे- माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12)। उच्च शिक्षा का अंतिम चरण भी दो धाराओं में विभाजित है- अकादमिक धारा एवं व्यावसायिक धारा।

### साक्षरता दर

बिहार राज्य ने गत दशक में साक्षरता दर के मामले में काफी सुधार किया है, जो 2001 के 47 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई है। यह एक दशक में 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है। गौरतलब है कि यह दशकीय वृद्धि केवल 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, बल्कि 2001 से 2011 के दशक में सारे राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। बिहार में जहाँ पुरुष साक्षरता दर 71.20 प्रतिशत है तो वहीं महिला साक्षरता दर 51.50 प्रतिशत।

### प्रारंभिक शिक्षा

बिहार जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिये प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र को ही सर्वाधिक महत्त्व हासिल है, क्योंकि यही क्षेत्र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को भेजता है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का अर्थ यह भी है कि यह प्रक्रिया समावेशी है क्योंकि समाज के वंचित तबकों से आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या के लिये यह अधिक प्रासंगिक है। प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के दो महत्त्वपूर्ण सूचकांक हैं उच्च नामांकन अनुपात और निम्न छीजन दर। इन दोनों सूचकांकों पर अधिकांशतः विद्यालयों, शिक्षकों आदि शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है। बिहार में यह खास तौर पर सच है जहाँ अधिकांश परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी शैक्षिक जरूरतों के लिये सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं।

अध्याय
14

# बिहार बजट, 2018–19 : विश्लेषण
# (Bihar Budget, 2018–19 : Analysis)

## राजकोषीय संकेतक

- बिहार राज्य का बजट आकार 2004–2005 में 23,885 करोड़ रु. था, जो वर्ष 2017–18 में 7 गुणा बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये तथा 2018–19 में यह बढ़कर 1,76,990 करोड़ रुपये हो गया है।
- वर्ष 2018–19 के वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 91,794.73 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 80,891.61 करोड़ रुपये से 10,903.12 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 84,672.62 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 78,818.46 करोड़ रुपये से 5,854.16 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में कुल पूंजीगत व्यय 40,250.60 करोड़ रुपये अनुमान किया गया है जो कुल व्यय का 22.74 प्रतिशत एवं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 37,482.87 करोड़ रुपये से 2,767.73 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में कुल राजस्व व्यय 1,36,739.67 करोड़ रुपये अनुमान किया गया है, जो कुल व्यय का 77.26 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 1,22,602.82 करोड़ रुपये से 14,136.85 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,58,051.41 करोड़ रुपये अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 1,37,158,41 करोड़ रुपये से 20,893 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 31,002.03 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जिसमें 23,302 करोड़ रुपये वाणिज्य कर 4,700 करोड़ रुपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 2000 करोड़ रुपये परिवहन कर एवं 1 हजार करोड़ रुपये भू-राजस्व से प्राप्त होगा।
- वर्ष 2018–19 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 4,445.89 करोड़ रुपये प्राप्त होने के अनुमान हैं, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 2,874.96 करोड़ रुपये की तुलना में 1,570.93 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें खनन से 1600 करोड़ रुपये, ब्याज प्राप्तियों से 2187.39 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- बिहार राज्य का राजस्व अधिशेष साल 2012–13 के रुपये 5,101 करोड़ के मुकाबले साल 2016–17 में रुपये 10,819 करोड़ रहा है। साल 2017–18 के लिये राज्य अधिशेष रुपये 14,556 करोड़ एवं 2018–19 में 21,311.74 करोड़ रुपये है जो बिहार राज्य के इतिहास में अपने सर्वोत्तम स्तर पर होगा। यह गौर करने वाली बात है कि शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के बाद जो राज्य की आय में कमी आई थी, उसे सरकार ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से न सिर्फ पूरा किया बल्कि 2018–19 के लिये राजस्व अधिशेष में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में 11,203.95 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,15,634.00 करोड़ रुपये का 2.17 प्रतिशत है।

## केंद्र सरकार से प्राप्ति

- केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी साल 2017–18 में 65,326.34 करोड़ रुपये थी, जबकि 2018–19 में 76,172.37 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 46,431.12 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 36,956.00 करोड़ रुपये से 9,475.12 करोड़ रुपये अधिक है।

## ऋण प्रबंधन

वर्ष 2018–19 के अंत में लोक ऋण (राज्य सरकार पर कुल ऋण) 1,37,900.82 करोड़ रुपये अनुमानित है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 26.74 प्रतिशत है।

अध्याय
15

# केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार की योजनाएँ (Schemes of Central Government & Bihar Government)

एक कल्याणकारी राष्ट्र में गरीबों एवं वंचित वर्गों के गरिमापूर्ण जीवन के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। योजनाओं के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी संदर्भ में केंद्र एवं बिहार सरकार की कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन नीचे किया गया है।

## 15.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ *(Central Government Schemes)*

### प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना *(Pradhanmantri Fasal Bima Yojana)*

- इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को मंज़ूरी प्रदान की गई।
- यह योजना वर्ष 2016 के खरीफ सत्र से लागू है।
- प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि), कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप व मौसमी गतिविधियों के कारण प्रभावित फसल, बुआई व कटाई के पश्चात् नुकसान को इस श्रेणी में रखा गया है।
- किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिये केवल 2% तथा रबी फसल के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये प्रीमियम 5% निर्धारित किया गया है।
- 2018–19 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन ₹ 13,000 करोड़ रुपये है।

### कृषि डाक प्रसार सेवा *(Krishi Dak Prasar Seva)*

- यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों तक बीज पहुँचाने के लिये भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित सेवा है, जिसके तहत चिह्नित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीज पहुँचाए जा रहे हैं।
- खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है चिह्नित गाँवों के किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से पहुँचाना।
- वर्तमान में यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 ज़िलों में शुरू की गई है। इसे कृषि विज्ञान केंद्रों एवं डाकघरों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

### किसान कॉल सेंटर *(Kisan Call Center)*

- कृषि में आई.सी.टी. (Information and communication technology) को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी, 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना को प्रारंभ किया गया था। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं। इसके लिये देशव्यापी 11 अंकों वाली एक टोल फ्री नंबर–18001801551 जारी किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय भाषा में किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है।

### राष्ट्रीय गोकुल मिशन *(Rashtriya Gokul Mission)*

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई, 2014 को देशी गायों के संरक्षण तथा उनकी नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। यह परियोजना 'राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम' का हिस्सा है। इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

# डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

**Website : www.drishtiIAS.com**
**E-mail : online@groupdrishti.com**

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

**641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009**
**Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456**